



दिनांक 18.02.2024

प्रेस विज्ञप्ति 20 / 2024

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बुलन्दशहर/थाना छतारी

- पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक 18.02.2024 को थाना छतारी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अनाज मंडी के पास बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त ईशव उर्फ सिंघानिया उर्फ अफजाल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना शिकारपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना छतारी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## गिरफ्तार अभियुक्त

1—ईशव उर्फ सिंघानिया उर्फ अफजाल निवासी ग्राम नंगला बंजारा थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर।

## बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

~ 2 ~

## जनपद एटा/थाना कोतवाली नगर

### ● 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 18.02.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नन्मूल चौराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त प्रशान्त उर्फ पीजी को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद एटा के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

1—प्रशान्त उर्फ पीजी निवासी पटियाली गेट नीलम ट्रैडर्स के सामने वाली गली थाना कोतवाली नगर जनपद एटा।

## जनपद बाराबंकी / थाना कोतवाली नगर

### ● 02 अभियुक्त गिरफ्तार

### ● चोरी की 16 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 18.02.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कुरौली तिराहा के पास से 02 अभियुक्तों 1—इशाद अली 2—एजाज अहमद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 16 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## गिरफ्तार अभियुक्त

1—इरशाद अली निवासी बकशी पुरवा थाना करनैलगंज जनपद गोणडा।

2—एजाज अहमद निवासी चौरी चौराहा थाना कर्नलगंज जनपद गोणडा।

## बरामदगी

1—चौरी की 16 मोटर साइकिल आदि।

## जनपद शामली / थाना कोतवाली

### • 02 अभियुक्त गिरफ्तार

• लगभग 01 करोड़ रुपये कीमत के 01 कुन्तल 81 किलो 53 ग्राम अवैध गांजा

• घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक बरामद

दिनांक 18.02.2024 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिम्भालका बाईपास शामली—मेरठ रोड से 02 अभियुक्तों 1—राजीव 2—शाह मोहम्मद उर्फ शान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ रुपये कीमत के 01 कुन्तल 81 किलो 53 ग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजीव निवासी ग्राम मालेण्डी थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली।

2—शाह मोहम्मद उर्फ शान निवासी मीरा रैती कस्बा गढ़ थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़।

## बरामदगी

1—लगभग 01 करोड़ रुपये कीमत के 01 कुन्तल 81 किलो 53 ग्राम अवैध गांजा।

2—घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक।

~ 4 ~  
जनपद फिरोजाबाद / थाना जसराना

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 80 लाख रुपये कीमत के 01 कुन्तल 70 किलो 86 ग्राम अवैध गांजा
- 01 कैंटर वाहन बरामद

दिनांक 17.02.2024 को थाना जसराना व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नगला रामा चौराहे के पास से 02 अभियुक्तों 1—सुनील कुमार 2—बसन्त कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 80 लाख रुपये कीमत के 01 कुन्तल 70 किलो 86 ग्राम अवैध गांजा, 01 कैंटर वाहन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना जसराना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—सुनील कुमार निवासी ग्राम नगवाई थाना जलेसर जनपद एटा।
- 2—बसन्त कुमार निवासी ग्राम नगवाई थाना जलेसर जनपद एटा।

### बरामदगी

- 1—लगभग 80 लाख रुपये कीमत के 01 कुन्तल 70 किलो 86 ग्राम अवैध गांजा।
- 2—01 कैंटर वाहन।

जनपद मुजफ्फरनगर / थाना बुढाना

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 22 लाख रुपये कीमत के 402 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब
- घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक (फर्जी नम्बर प्लेट) बरामद

दिनांक 18.02.2024 को थाना बुढाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर परासौली के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1—सतनाम 2—गुरुसेवक को गिरफ्तार

किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 22 लाख रूपये कीमत के 402 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक (फर्जी नम्बर प्लेट) बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बुढ़ाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

1—सतनाम निवासी ग्राम मलीया थाना सदर जनपद तरनतारण पंजाब।

2—गुरुसेवक निवासी ग्राम मलीया थाना सदर जनपद तरनतारण पंजाब।

### बरामदगी

1—लगभग 22 लाख रूपये कीमत के 402 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2—घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक (फर्जी नम्बर प्लेट)।

एस0टी0एफ0—थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत मु0आ0सं0  
341 / 2016 में वाँछित रु0 50,000/- का पुरस्कार घोषित अश्वनी सिंह उर्फ  
राहुल उर्फ पिन्टू जनपद मऊ से गिरफ्तार।

दिनांक 17—02—2024 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत मु0आ0सं0 341 / 2016 धारा 223 / 224 भादवि में वाँछित पेषी से फरार रु0 50,000/- का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी अश्वनी सिंह उर्फ राहुल उर्फ पिन्टू को जनपद मऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

- अश्वनी सिंह उर्फ राहुल उर्फ पिन्टू पुत्र महेन्द्र कुमार सिंह निवासी ग्राम ओहनी, थाना महनाजपुर, जनपद आजमगढ़।

### बरामदगी:

- 01 अदद गाड़ी फार्चूनर यू0पी0—65—ईएक्स—0100
- 01 अदद मोबाइल फोन

## गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक / समय

स्थान— थाना क्षेत्र चिरयाकोट, जनपद मऊ, दिनांक 17-02-2024 समय 21:05

बजे

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से कुख्यात फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर हत्या करने व भयादोहन आदि अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में श्री सत्यसेन, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, लखनऊ के पर्यवेक्षण में श्री विमल कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 मुख्यालय टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत मु0आ0सं0 341/2016 धारा 223/224 भादवि में वाँछित रु0 50,000/- का पुरस्कार घोषित अपराधी अष्वनी सिंह उर्फ राहुल उर्फ पिन्टू चिरयाकोट, जनपद मऊ में किसी काम से आया है, यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर निरीक्षक श्री दीपक सिंह, उपनिरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह, मु0आ0 शमशेर व मु0आ0 भूपेन्द्र, जो आराधिक अभिसूचना संकलन के सम्बन्ध में जनपद मऊ में भ्रमणशील थे, ने तत्काल कार्यवाही करते हुए मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान से उपरोक्त अभियुक्त को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त अश्वनी सिंह ने बताया कि उसके ऊपर थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ में मु0आ0सं0 341/2016 धारा 223/224 भादवि का अभियोग पंजीकृत हो गया था, जिसमें वह जेल चला गया था। मौका पाकर पेशी से मेर्ष 2016 में भाग गया था। उसके ऊपर इनाम घोषित हो गया था जिसपर वह नाम बदल-बदल कर अलग-अलग स्थानों पर रह रहा था। आज किसी काम से अपने घर आया था कि पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0341/2016 धारा 223/224 भादवि में दाखिल किया गया है। अग्रेतर विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एस0टी0एफ0—अन्तर्राज्यीय स्तर पर आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती में नौकरी दिलाने का लालच देकर ठगी व उद्धापन करने वाले गैंग के 03 सदस्य जनपद प्रयागराज से गिरफ्तार।

दिनांक 18-02-2024 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को जनपद प्रयागराज से अन्तर्राज्यीय स्तर पर आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती में नौकरी दिलाने का लालच देकर ठगी व उद्धापन करने वाले गैंग के 03 शातिर सदस्य को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1— हरिशंकर पुत्र छोटेलाल नि9— कोलाही पो0— विजयपुर, थाना विन्ध्याचल, जनपद मीरजापुर उ0प्र0।
- 2— अजय कुमार शुक्ला पुत्र सन्तोष कुमार नि0— ग्राम कोरौना थाना औराई जनपद भदोही उ0प्र0।
- 3— राम सागर पुत्र स्व0 रामराज नि0— ग्राम कोलाही पो0— विजयपुर, थाना— विन्ध्याचल, मीरजापुर उ0प्र0

बरामदगी:-

- 1—05 अदद प्रवेश पत्र उ0प्र0पु0 सिपाही भर्ती संबंधी।
- 2—04 अदद घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन।
- 3—01 अदद इयोन कार।

गिरफ्तारी का स्थान व समय:- दिनांक 18.02.2024, स्थान: थाना जार्जटाउन, जनपद प्रयागराज मेडिकल चौराहे के पास समय 01:00 रात्रि बजे।

एस०टी०एफ० उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से अन्तराज्यीय स्तर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं व आगामी प्रस्तावित उ०प्र०पु० सिपाही भर्ती परीक्षाओं में धाधली करने के नाम पर ठगी व उद्घापन करने वाले गँग के सक्रिय होने के सम्बन्ध में सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस०टी०एफ० की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री धर्मेश शाही पुलिश उपाधीक्षक, एस०टी०एफ० मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि थाना जार्ज टाउन, जनपद प्रयागराज क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं व आगामी प्रस्तावित उ०प्र०पु० सिपाही भर्ती परीक्षाओं में धाधली करने के नाम पर ठगी व उद्घापन करने वाले गँग सक्रिय हैं जो आज पैसे व अन्य प्रमाणपत्र लेने आने वाले हैं। इस सूचना के आधार पर निरीक्षक राघवेन्द्र सिंह मय उ०नि० अतुल चतुर्वेदी, उ०नि० प्रदीप कुमार सिंह, मु०आरक्षी नीरज कुमार पाण्डेय, मु०आ० राम निवास शुक्ल, मु०आरक्षी राजीव कुमार, आरक्षी ब्रजेश बहादुर सिंह, आरक्षी अमित त्रिपाठी साइबर एक्सपर्ट अमन शर्मा की टीम गठित कर तत्काल मुख्यिर द्वारा बताये गये स्थान मेडिकल चौराहे थाना जार्ज टाउन पर पहुँचे तथा मुख्यिर की निशानदेही पर एसटीएफ टीम द्वारा एक बारगी दबिश देकर घेरकर इयान कार में बैठे 03 लोगों को मौके पर पकड़ लिया गया। पूछताछ करने के बाद तस्दीक होने पर 03 नफर अभियुक्तों को समय 01:00 बजे रात्रि गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम दोनों लोग उ०प्र० पुलिस में होने वाली भर्ती परीक्षा में अभ्यार्थियों को पास करने का ठेका लेते हैं उनसे 10 से 12 लाख रुपये प्रत्येक अभ्यर्थी से भर्ती होने की दशा में तय करते हैं व एडवांस में 20 से 25 हजार रुपये ले लेते हैं हम लोगों की परीक्षा में कही कोई सेटिंग/जुगाड़ नहीं है, जो अभ्यर्थी अपने आप परीक्षा में पास हो जाते हैं तो उनसे पैसा लेकर हड्डप लेते हैं और वह इसी धोखे में रहता है कि हमने ही उसे पास करवाया है। जो अभ्यर्थी फेल हो जाते

हैं उनसे खर्च के नाम पर एडवांस में लिये रूपये रख लेते हैं, हम लोग अभ्यार्थीओं को फर्जी व नकली परीक्षा पेपर व उत्तर कुंजी व्हाट्सप पर ही भेज देते हैं, जोकि पूर्णयता: फर्जी होता है, केवल पैसा हड़पने के उद्देश्य से हमी लोग फर्जी पेपर बनाते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना थाना जार्ज टाउन कमिशनरेट प्रयागराज, पर मु0अ0सं0 39 / 2024 धारा—420 भादवि० का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना स्तर पर की जा रही है।

एस0टी०एफ०—थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर के मु0अ0सं0 75 / 2024 धारा 286 भादवि० व 4 / 5 विस्फोटक पदार्थ अधि० में वांछित टाईमर बम तैयार कराने वाली महिला को एस0टी०एफ० द्वारा किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 17—02—2024 को एस0टी०एफ० उ०प्र० को टाईमर बम तैयार कराने वाली मास्टर माइण्ड इमराना को जनपद मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुयी।

#### गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण:-

इमराना पत्नी आजाद निवासी ग्रम—बन्तीखेडा, थाना बाबरी, जनपद शामली हॉल पता—198 / 30 कालीनदी पुलिस के पास प्रेमपुरी, थाना कोतवाली नगर, जनपद मुजफ्फरनगर

#### गिरफ्तारी का स्थान / दिनांक:-

198 / 30 काली नदी पुलिस के पास प्रेमपुरी, थाना कोतवाली नगर, जनपद मुजफ्फरनगर, दिनांक—17.02.2024 समय 16.45 बाजे।

एसटीएफ, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी०एफ० की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी०एफ० फील्ड इकाई, मेरठ के पर्यवेक्षण में एस0टी०एफ० फील्ड इकाई, मेरठ द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

एस०टी०एफ० मेरठ की एक टीम उप निरीक्षक प्रमोद कुमार, मुख्य आरक्षीगण जोशी राणा, जयवर्धन, प्रीतम भाटी एंव हे०का० विवेक पंवार आपराधिक अभिसूचना संकलन के सम्बन्ध में जनपद मुजफ्फरनगर में मामूर थी कि मुख्यबिर एंव सहयोगी केन्द्रीय अभिसूचना एजेन्सी के जरिये सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर में मु०अ०सं० 75 / 2024 धारा 286 भादवि व 4 / 5 विस्फोटक पदार्थ अधि० में वांछित टाईमर बम तैयार कराने वाली इमराना अपने घर पर मौजूद हैं, यदि जल्दी की जाये तो पकड़ी जा सकती है।

इस सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए स्थानीय पुलिस को अवगत कराते हुए साथ लेकर मुख्यबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंच कर मुख्यबिर की निशादेही पर इमराना पत्नी आजाद निवासी ग्रम—बन्तीखेड़ा, थाना बावरी, जनपद शामली हॉल पता—198 / 30 काली नदी पुलिस के पास प्रेमपुरी, थाना कोतवाली नगर, जनपद मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता ने पूछताछ पर बताया कि मैं गांव निरमाना, थाना शाहपुर जनपद मु०नगर की रहने वाली हूँ। मेरे पिता शकूर थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। मेरी शादी करीब 30 वर्ष पहले आजाद पुत्र इजराईल निवासी बन्तीखेड़ा, थाना बावरी, जनपद शामली से हुई थी। मेरे तीन बच्चे पैदा हुए। बड़ी लड़की रुकसार पत्नी नदीम नि० सरस्वती बिहार, हरिद्वार रोड, देहरादून में रहती है। एक लड़का मोनू 24 वर्ष का था जिसकी 6 माह पहले अटैक से मृत्यु हो चुकी है तथा उससे छोटा लड़का सोनू 21 वर्ष का है, जो कपड़े का काम करता है। मेरे पति पहले लकड़ी का काम करते थे, अब पशु पालते हैं। लगभग 20—22 वर्ष से मैं अपने पति के साथ मकान लेकर मौहल्ला प्रेमपुरी काली नदी के पुल के पास मु०नगर में रह रही हूँ तथा ससुराल बन्ती खेड़ा में आती जाती रहती हूँ। मैं साईबाबा के आर्शीवाद से मंगलवार व शक्रवार को गांव बन्तीखेड़ा जाती हूँ तथा वहा झाड़ फूक व दवाई देने का काम करती हूँ। मेरे पास सभी तरह के लोग आते रहते हैं। मैं करीब 20 वर्ष पहले से जावेद को जानती हूँ। उसके पिता जरीफ अहमद हकीम थे, जिनसे मैं अपनी व अपने पति की दवाई लेने उनके घर आती—जाती थी। जावेद भी मुझे वहीं पर मिल जाता था। जावेद की मॉ नेपाल की रहने वाली है। जावेद के चाचा अर्शी लाईसेंस पर पटाखे बनाने का काम करते थे, जावेद भी उनके

पास पटाखे बनाने का काम करता था। करीब 12–13 वर्ष पहले मैंने जावेद से दो बम लिये थे जो मैंने अपने घर पर रख लिये थे। एक बम की बत्ती निकल गयी थी कोई बड़ी घटना न हो जाये इस डर के कारण मैंने उन्हें काली नदी में फेंक दिया था।

वर्ष 2013 में मुजफ्फरनगर में हिन्दू मुस्लिम झगड़ा हो गया था तो हिन्दूओं ने मेरा घर जला दिया था, जिसमें मेरा काफी नुकसान हो गया था, जिसे लेकर मुझमें काफी गुस्सा था। इसके बाद मैंने जावेद पुत्र जरीफ से मुलाकात कर कुछ बम बनवाये थे ताकि आगे कोई झगड़ा हो तो उसमें काम आयेंगे। वह बम मैंने काफी समय पहले अपने मिलने वाले कुछ लोगों को दे दिये थे, जिनको मैंने दिये थे। उनके नाम पता मैं अब नहीं जानती हूँ। इस बार मैंने करीब 15 दिन पहले जावेद से 10 बम बनाने के लिए कहा था, सोचा था कि कोई झगड़ा व दंगा होगा तो काम आयेंगे। जावेद मीरापुर से अपने जानने वाले के पास से बारूद लाकर बम बनाता है। इस बार बारूद कम मिलने के कारण जावेद 5 ही बम बना पाया था। जावेद ने यह भी बताया था कि एक बम गर्म होकर खराब हो गया था, जिसे काली नदी में फेंक दिया था। जावेद परसों मेरे पास 4 बम लेकर आ रहा था कि पुलिस ने उसे रास्ते मे ही पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्ता के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर में मु0अ0सं075/2024 धारा 286 भादवि व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनी के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग में दाखिल किया गया है। अग्रेतर कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

**एस०टी०एफ०—अन्तराज्यीय स्तर पर प्रचलित उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती में पेपर आऊट कराने का झाँसा देकर ठगी करने वाले गैंग के 03 सदस्य जनपद बलिया से गिरफ्तार।**

दिनांक 18–02–2024 को एस०टी०एफ०, उत्तर प्रदेश को जनपद बलिया से अन्तराज्यीय स्तर पर प्रचलित उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती में पेपर आऊट कराने का झाँसा देकर ठगी करने वाले गैंग के 03 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

## गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1— उपेन्द्र यादव पुत्र सुरेश यादव नि० जीउटपुरा, रष्टाटाट, थाना उभांव, जनपद बलिया,
- 2— मार्कन्डेय यादव पुत्र श्रीकान्त यादव नि० चक महमूद, थाना उभांव, जनपद बलिया,
- 3— स्वतंत्र यादव पुत्र विजय यादव नि० ढेरवरा, थाना रामपुर, जनपद मऊ।

## बरामदगी:-

- 1— 04 अदद मोबाइल फोन
- 2— 03 अदद ए०टी०एम० कार्ड
- 3— 01 अदद आधार कार्ड
- 4— 05 अदद एडमिट कार्ड,
- 5— 02 सैट उत्तर पुस्तिका
- 6— रु० 20060/-नगद,
- 7— बुलेरो कार नं० य०पी०-०७-ए०पी०-३८१२
- 8— एक अदद हीरो मोटर साइकिल य०पी०-५४-ए०एम०-०३८६

गिरफ्तारी का स्थान व समय:-—दिनांक 18-02-2024, स्थान: बस स्टैण्ड बेलथरा रोड के सामने, टाऊन प्लाजा होटल, थानाक्षेत्र उभांव, जनपद बलिया। समय 13:40 बजे।

एस०टी०एफ० उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से अन्तर्राज्यीय स्तर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं व प्रस्तावित उ०प्र०पु० सिपाही भर्ती परीक्षाओं में धाधली करने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग के सक्रिय होने के सम्बन्ध में सूचनायें प्राप्त हो रहीं थीं। इस सम्बन्ध में एस०टी०एफ० की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री प्रमेश कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, एस०टी०एफ० मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि टाऊन प्लाजा होटल, बस स्टैण्ड बेलथरा रोड के सामने जनपद मऊ क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं व

उ०प्र०पु० सिपाही भर्ती परीक्षाओं में पेपर आऊट कराने का झाँसा देकर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग सक्रिय है, जो आज पैसे व अन्य प्रमाणपत्र लेने टाऊन होटल में आये हैं। इस सूचना के आधार पर निरीक्षक श्री वेद प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में उपनिरीक्षक जावेद आलम, मुख्यारक्षीगण मृत्युंजय सिंह, जसवन्त सिंह, कविन्द्र साहनी, चन्द्र प्रकाश मिश्र, मुनेन्द्र सिंह व आरक्षीचलक कुमलेश की एक टीम जो आपराधिक अभिसूचना संकलनद हेतु जनपद मऊ में मौजूद थी, द्वारा तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए स्थानीय पुलिस को अवगत कराते हुए साथ लेकर मुख्यबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुँच कर उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार लिया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तो ने पूछताछ में बताया कि हम तीनों लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर आऊट का झाँसा देकर अभ्यर्थियों से पैसा वसूलते हैं। एडवांस में दो लाख रुपये ले लेते हैं और सिलेक्शन होने की दशा में 12 लाख तय करते हैं। यदि किसी का चयन हो जाता है तो उससे और पैसा प्राप्त कर लेते हैं। चयन न होने की दशा में उनसे खर्च के नाम पर पैसा काट कर एडवांस दे देते हैं। यह काम हम लोग काफी दिनों कर रहे हैं। केवल पैसा हड्डपने के उद्देश्य से हमी लोग फर्जी पेपर बनाते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना उभाव, जनपद बलिया में मु०अ०सं० 55 / 2024 धारा—419 / 420 / 467 / 468 / 471 भादवि० का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना स्तर पर की जा रही है।

---